न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 14 / 2022

रामदेव आदि बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि

प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–आदेश–

दिनांकः– 04.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 41 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन आदेश से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की है। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन मूल आवेदन के निर्णय तक जारी किया जाना विधि सम्मत है। अत स्थगन आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट राजस्व रिकार्ड में खातेदार नही है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। अपील के स्तर पर अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अत अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन आदेश से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की है। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन मूल आवेदन के निर्णय तक जारी किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। चूकिं धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। अत अपील इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में लम्बित आवेदन धारा 212 के अन्तिम निस्तारण तक खसरा नम्बर 1279/916 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर उभयपक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.04.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का आगामी एक माह में अन्तिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर